–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 17/2023

उनवान

1. सम्पत सिंह पुत्र घीसा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेश टांक

बनाम

1. छीतर सिंह पुत्र राजू सिंह
2. राम सिंह
3. बीरम सिंह पि. छोटू सिंह
4. जमनी पत्नी छोटू
5. भंवरी पत्नी राम सिंह
6. रूकमा पत्नी छीतर सिंह
7. भोली पत्नी सुखदेव
8. दीपक पुत्र राम सिंह
9. कालू पुत्र छोटू सिंह
10. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 9 अनुपस्थित, 10 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

–: आदेश :– दिनांक :– 2.1.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104, 1105, 3595/1116 किता 3 रकबा 0.4750 प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा एक वाद व प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थीगण को पाबंद करने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया था। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2022 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद किया था। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1105 पर पुनः काटे डालते हुये प्रार्थी के आवाजाही के रास्ते को अवरूद्व कर दिया है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त अतिक्रमण को हटवाते हुये विधि के प्रावधान अनुसार अप्रार्थीगण को दण्डित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104, 1105, 3595/1116 किता 3 रकबा 0.4750 प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा एक वाद व प्रार्थना पत्र वास्ते

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थीगण को पाबंद करने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया था। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2022 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया था। प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद खसरा नम्बर 1105 में कांटे डालकर रास्ता अवरूद्व कर दिया है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश में मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था। किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्राथर्ना पत्र में सह स्पष्ट नही किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किस दिनांक को उक्त अतिक्रमण किया है। उक्त कांटे स्थगन के बाद डाले है अथवा स्थगन के पूर्व प्रकरण में स्पष्ट नही किया है। प्रार्थी द्वारा स्थगन की पालना हेतु तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र अथवा कार्यवाही का विवरण भी पेश नही है। अप्रार्थीगण को न्यायलय द्वारा पारित स्थगन आदेश की तामीली प्रार्थी द्वारा करवाये जाने को कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने हेतु स्वतंत्र गवाह के बयान भी नही कराये है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश का उल्लंघन किया जाना सिद्व नही होता है। आराजी मुतनाजा से संबधित मूल वाद निस्तारण किया जा चुका है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। न्यायालय आदेश की पालना किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आशय से किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1104, 1105, 3595/1116 की आराजी की मौका जॉच कर न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना सुनिश्चित करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:13:02 IST
Reason: SelfAttested